न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन सहायक कलक्टर
सीमलवाडा जिला डूंगरपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारीः– विवेक गुर्जर, आर.ए.एस.

प्रकरण सख्याः– 49/23 रेवेन्यु दायर दिनांकः–31.10.2023

श्री लक्ष्मण रावल पिता कोदरा रावल माता का नाम हन्तोक रावल जाति रावल (जोगी) उम्र 50 वर्ष निवासी सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर राजस्थान।

—प्रार्थी

बनाम

भूमिधारी तहसीलदार सीमलवाड़ा जिला–डूंगरपुर राजस्थान।

—अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम
सपठित धारा 151 जा.दी.

उपस्थितः–

अधिवक्ता प्रार्थी श्री नरेश जोशी।
पेरोकार सरकार, तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर से।

निर्णय दिनांक– 15.10.2025

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 136 ले.रे.एक्ट सपठित धारा 209 रा.का.अधिनियम. का इस आशय का पेश कियाकी प्रार्थी गॉव सीमलवाडा ग्राम पंचायत सीमलवाडा त. सीमलवाडा व जिला डूॅगरपुर का निवासी है।प्रार्थी की जाति रावल(जोगी) है। प्रार्थी का नाम लक्ष्मण होकर रावल (जोगी) अटक है तथा जाति जोगी है। प्रार्थी का वास्तविक नाम जो राजकीय रेकार्ड अनुसार जिसमे आधार कार्ड, चुनाव परिचय पत्र,जोबकार्ड, राशनकार्ड सम्मिलित है यह ही नाम अंकित है तथा प्रार्थी को इसी नाम से जाना व पहचाना जाता आ रहा है और पहचाना जाता है। तथा प्रार्थी की माता का नाम हन्तोंक व पिता का नाम कोदरा रावल है। प्रार्थी की माता हन्तोक व पिता कोदरा रावल के वैवाहिक जीवन से तीन पुत्रीयों तथादो पुत्र संतानो का जन्म हुआ जिनका नाम निम्नानुसार है (1) श्रीमति कमला (2) श्रमति जीवी(3)हाकेर (कुल तीन पुत्रीयॉ) (4)पेमा (5)लक्ष्मण (कुल दो पुत्र)प्रार्थी के माता व पिता दोनो का देहान्त हो चुका है, बहन हाकेर का देहान्त हो चुका है। तथा प्रार्थी का माता–पिता से प्राप्त संपति के कुछ भाग का आपसी बटवारा भी हो चुका है। प्रार्थी की अपने माता व पिता से प्राप्त स्वामित्व व कब्जे काश्त के तीन खाते मौजा सीमलवाडा गॉव मे स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है (1) खाता सं. नया 1009 पुराना 1196 तथा खसरा नम्बर 3247/3220 है जिसमे प्रार्थी एक मात्र खातेदार है (2)खाता सं. नया 1008 पुराना 463 तथा खसरा नम्बर 3053/1729 व 802 होकर

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

जिसमे प्रार्थी खातेदार है । इसी प्रकार एक अन्य खाता ग्राम सीमलवाडा में स्थित है, जिसका खाता संख्या नया 565 पुराना 208 होकर खसरा नम्बर 2283/1730 है तथा यह खाता संख्या नया 565 पुराना 208 सभी भाई बहन के शामलात मे चल रहा है। मौजा सीमलवाडा मे स्थित खसरा नम्ब्र 3247/3220 व खसरा नम्बर 3053/1729 व 802 मे प्रार्थी का नाम वेला अंकित हो गया तथा पुत्र की जगह पुत्री अंकित हो गया है। प्रार्थी के माता–पिता के वैवाहिक जीवन से पांच संताने होकर उनके नाम पेमा, प्रार्थी लक्ष्मण स्वयं, हाकेर, जीवी, कमु उर्फ कमला है। वेला सिर्फ प्रार्थी को प्यार से पुकारा जाता था, वेला प्रार्थी का वास्तविक नाम नही रहा है लेकिन राजस्व रेकार्ड मे गलत रूप से वेला नाम अंकित हो गया है। ग्राम सीमलवाडा में स्थित भूमि जिसका खाता संख्या नया 565 पुराना 208 होकर खसरा नम्बर 2283/1730 है, में प्रार्थी का वास्तविक नाम लक्ष्मण राजस्व रेकार्ड में चल रहा है और बना हुआ है। मौजा सीमलवाडा मे स्थित खसरा नम्बर 3247/3220 व खसरा नम्बर 3053/1729 व 802 मे प्रार्थी का नाम वेला अंकित हो गया तथा पुत्र की जगह पुत्री अंकित हो गया है जिसको सुधारा जाना आवश्यक है क्योकि उपरोक्त गलत नाम दर्ज रेकार्ड रहने से प्रार्थी का काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है और करना पडेगा।

प्रार्थी का प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षी को तलब किया तथा रिपोर्ट तलब की गई। विपक्षी का जवाब पेश हुआ, जिसमें विपक्षी द्वारा वेला नाम गलत अंकित होना अंकित करते हुए वास्तविक नाम लक्ष्मण होना बताया है।

प्रकरण मे बहस सुनी गई तथा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया और रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया ।प्रकरण मे ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम लक्ष्मण रावल होकर उसके पिता का नाम कोदरा रावल और माता का नाम हन्तोक रावल होकर पेमा, हाकेर, जीवी, कमु उर्फ कमला प्रार्थी लक्ष्मण के भाई बहन है तथा पत्रावली मे खसरा नम्बर 2283/1730 मोजा सीमलवाडा की जो जमाबंदी पेश हुई है उसमे कमला,जीवी,पेमा,लक्ष्मण का नाम अंकित है, वेला नाम की किसी स्त्री का नाम अंकित नही है इसी प्रकार अन्य दस्तावेज को देखे जाने पर भी प्रार्थी की माता हन्तोक की मृत्यु के बाद जो इंतकाल खोला गया है उसमे पेमा, हाकेर, जीवी, कमु का नाम तो सही दर्ज हुआ है, लेकिन प्रार्थी लक्ष्मण के नाम की जगह वेला अंकित हो गया है। यानि मौजा सीमलवाडा मे स्थित खसरा नम्ब्र 3247/3220 व खसरा नम्बर 3053/1729 व 802 मे प्रार्थी का नाम वेला अंकित हो गया तथा पुत्र की जगह पुत्री अंकित हो गया है तथा स्वयं विपक्षी द्वारा भी इस बात की पुष्ठि की गई है तथा वास्तविक नाम लक्ष्मण होना ही कथन किया गया । वेला नाम स्पष्ट रूप से राजस्व त्रुटि से अंकित हो जाना ज्ञात होता है जिसको सुधार किया जाना नितान्त आवश्यक है अन्यथा प्रार्थी को परेशानी का सामना करना पडेगा। इन परिस्थितियों मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

:: आदेश ::

प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि भू–अभिलेख रेकॉर्ड मौजा सीमलवाडा जिला डूँगरपुर में स्थित खसरा नम्बर 3247 / 3220 व खसरा नम्बर 3053 / 1729 व खसरा नम्बर 802 मे अंकित वेला पुत्री हंतोक के नाम का शुद्धिकरण किया जाकर उसकी जगह लक्ष्मण पुत्र कोदरा रावल (माता हंतोक रावल) (जोगी) किए जावे। तहसीलदार सीमलवाड़ा आदेश की पालना कर रिपोर्ट अविलम्ब पेश करें।

(विवेक गुर्जर)
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा